



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट (पिथौरागढ़)।

E-mail- eepwdaskote@gmail.com

पत्रांक-949 / 13सी0

दिनांक 1-7 - 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग पिथौरागढ़।

विषय:- जनपद-पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र धारचूला के दोबाट रांथी हल्का वाहन मार्ग के निर्माण हेतु 5.175 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/ROAD/67235/2021)

सन्दर्भ :-भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, 25 सुभाष रोड
देहरादून की फाइल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/119/2021/एफ0सी0/1260 दिनांक 23/12/2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव में कमियों का निराकरण बिन्दुवार निम्नवत है।

क्र0 सं0	लगाई गयी आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	Online portal के part I para C पर upload की गयी के0एम0एल0 फाइल पर केवल लाभान्वित होने वाले गांव की स्थिति ही अंकित की गयी है। प्रस्तावित alignment, alternate alignment if any एवं existing road की स्थिति अंकित नहीं की गयी है।	उक्तमार्ग 3-4 मी0 चौड़ाई में निर्मित है। पूर्व निर्मित मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव गठित किया गया है। प्रस्तावित alignment में existing road की सही स्थिति अंकित कर दी गयी है एवं alternate alignment की आवश्यकता नहीं है
2	हालांकि CA क्षेत्र DSS analysis उपयुक्त जान पड़ता है, किन्तु प्रस्तावित CA क्षेत्र की समुद्र तल से उंचाई एवं अन्य कारणों को देखते हुये सम्बन्धित वनाधिकारी (लगभग 3531मी0 asl) सी0ए0 हेतु स्थल की उपयुक्तता को पुनः review / reassess कर comments प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	सी0 ए0 क्षेत्र के नयी स्थल चयन कर अपलोड कर दी गयी है। सी0ए0 हेतु स्थल की उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग पिथौरागढ़ से प्रमाणित कर अपलोड कर दिया गया है।
3	राज्य सरकार द्वारा यह अवगत किया गया है कि प्रस्तावित कार्य में पूर्व मार्ग जो कि 3-4 मी0 चौड़ाई का है का extension किया जाना है। परन्तु land schedule से स्थिति स्पष्ट नहीं है कि क्या पूर्व निर्मित मार्ग की स्वीकृति FCA, 1980 में ली गयी थी? क्या land schedule चौड़ाई 9.00मी0 पूर्व चौड़ाई के साथ है या अतिरिक्त ? इस विषय पर स्थिति को स्पष्ट करने का कष्ट करें।	प्रस्तावित मोटर मार्ग जोकि पूर्व में 3-4 मी0 चौड़ाई का है जिसका Extension किया जाना है। लैण्ड शैड्यूल में पूर्ण चौड़ाई 9.00 मी0 में ली गयी है। पूर्व निर्मित मार्ग की स्वीकृति FCA, 1980 में नहीं ली गयी है। लैण्ड शैड्यूल में चौड़ाई 9.00 मी0 पूर्ण चौड़ाई में ली गयी है।
4	Online part I के para B 2.4 में मलवा निस्तारण हेतु 0.99 हे0 भूमि को वन क्षेत्र में दर्शाया गया है जबकि land schedule एवं मलवानिस्तारण योजना के अनुसार मलवानिस्तारण हेतु नाप भूमि 0.2 हे0 का चयन किया गया है अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक संशोधन प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	मार्ग निर्माण हेतु कुल 5.175 हे0 वनभूमि एवं 1.192 हे0 नाप भूमि प्रभावित हो रही है, तथा मलवा निस्तारण हेतु 0.200 हे0 नाप भूमि का चयन किया गया है। पूर्व में त्रुटिवश online Part 1 के para B 2.4 में मलवा निस्तारण हेतु 0.99 हे0 भूमि को वन क्षेत्र के अंकित कर

		दिया गया था। पूर्व में डाटा ऑनलाईन अंकित करने समय त्रुटिवश भूमि क्षेत्रफल कम दर्शाने के कारण वर्तमान में Para B 2.4 Component Wise Breakup में डाटा दर्शाने में Online Portal में डाटा न लेने के कारण केवल road components के भूमि का विवरण अंकित किया गया है। मलवा निस्तारण हेतु 0.200 हे० नाप भूमि का चयन किया गया है, जिसे आनलाईन अंकित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। संलग्न लैंड शैडयूल में दर्शायी गई जानकारी सही है।
5	प्रस्तावित road alignment की nearest PAS से दूरी 1.6 किमी० है जिसके लिए यद्यपि CWLW द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त परियोजना के लिये WL clearance की आवश्यकता नहीं है परन्तु उक्त मार्ग के बनाये जाने से wild life पर कोई adverse impact है या नहीं तथा किसी तरह के animal passage plan की आवश्यकता है या नहीं को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है।	उक्त मार्ग पूर्व में ही 03 से 04 मी० चौड़ाई में निर्मित है। जिसमें अधिकांश प्रभाग चट्टानों से होकर गुजरता है एवं वनाच्छादित भी नहीं है। वाहनों के सुरक्षित आवगमन हेतु मार्ग को चौड़ीकरण कर मोटर मार्ग में परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त मोटर मार्ग के बनाये जाने से wild life पर कोई adverse impact नहीं पड़ेगा। तथा मार्ग में किसी तरह के animal passage plan की आवश्यकता नहीं है।

अतः उक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर आवश्यक प्रपत्र 5 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

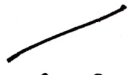
संलग्न उपरोक्तानुसार


(इ० बी०के० सिन्हा)

 अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
अस्कोट(पिथौरागढ़)

पत्रांक / 13सी० तद्दिनांक
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़।
2. अधीक्षण अभियन्ता तृ०वृ०लो०नि०वि० पिथौरागढ़।
3. सहायक अभियन्ता उपखण्ड लो०नि०वि० धारचूला।
4. खण्डीय अमीन निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अस्कोट।


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
अस्कोट(पिथौरागढ़)